प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र.नि.ब्यू.टोंक(राज0), थाना प्र.आ.के.,भ्र0नि0ब्यूरो,जयपुर, वर्ष 2022
प्र.ई.रि.सं..................... 114/2022 दिनांक 6/4/2022

2.–(1) अधिनियम भ्र0नि0(संशोधन) अधि0 2018 धारायें .... 7...........
(2) अधिनियम............. धारायें ....
(3) अधिनियम......................... धारायें.......................................
(4) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.–(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या..................104..........समय..............2:00 P.M.
(ब) अपराध के घटने का दिन :– मंगलवार, दिनांक 05.04.2022, समय 3.54 पी0एम0
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक – 04.04.2022, समय 2.00 पीए0एम0

4.–सूचना की किस्म :–लिखित / मौखिक लिखित

5–घटनास्थल :–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – बजानिब पश्चिम 90 किलोमीटर चौकी हाजा ए.सी.बी.,टोंक से
(ब) पता – तालाब की पाल ग्राम संवारिया तहसील टोड़ारायसिंह जिला टोंक.....बीट संख्या .....जरायमदेही सं........
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का हैं,तों पुलिस थाना ....जिला................

6.– परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ).–नाम :– **श्री रामधन पुत्र श्री रिधकरण जाट उम्र 45 साल निवासी संवारिया तहसील टोड़ारायसिंह जिला टोंक**
(ब).–राष्ट्रीयता :– भारतीय
(स).–पासपोर्ट संख्या..........................जारी होने की तिथि.....................जारी होने की जगह.
(द).–व्यवसाय :– मजदुरी/खेती ।

7.– ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1. **श्री प्रहलाद बैरवा पुत्र श्री गोपी बैरवा उम्र 40 साल निवासी कोटड़ी थाना लाम्बाहरिसिंह तहसील टोड़ारायसिंह जिला टोंक हाल कनिष्ठ लिपिक (कनिष्ठ सहायक) ग्राम पंचायत संवारिया पंचायत समिति टोड़ारायसिंह जिला टोंक**

8.– परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इत्तिला देने में विलम्ब का कारण :– ....

9.– चुराई हुई/लिप्त सम्पति की विशिष्टिया (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।):– ट्रेप राशि रूपयें 20,000/– रूपये

10.–चुराई हुई/लिप्त सम्पति का कुल मूल्य 20,000/–रूपयें ट्रेप राशि

11.–पंचनामा/यू.डी.केस संख्या (अगर हो तो)..

12.–विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावें।)

सेवामें,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टोक राज.

विषय :– भ्रष्ट कर्मचारी को पकड़वाने हेतु।

महोदय,

निवेदन है कि मैं रामधन पुत्र श्री रिधकरण जाट उम्र 45 साल निवासी संवारिया तहसील टोड़ारायसिंह जिला टोंक का निवासी हुं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् मकान हेतु मैनें आवेदन किया था, जिस पर एक वर्ष पूर्व मुझे पहली किस्त 15 हजार रूपये मिल चुकी है, पहली किस्त मिलने के बाद मैनें मकान का काम शुरू कर दिया था, जो वर्तमान में छत हाईट तक बन चुका है, परन्तु मुझे दुसरी किस्त नहीं मिल रही है। दुसरी किस्त के लिए मैनें ग्राम पंचायत संवारिया

पंचायत के एलडीसी श्री प्रहलाद से मिला तो प्रहलाद ने दुसरी व तीसरी किस्त डालने की एवज में 20 हजार रूपये की मांग कर रहा है। मैं गरीब आदमी हुं, काफी निवेदन करने पर भी नहीं मान रहा है, कहता है कि 20 हजार रूपये दोगे तभी किस्त की राशि आयेगी। मैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हुं, बल्कि रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुं। मेरा इनसे कोई उधार का लेन–देन बकाया नहीं है एवं नाही कोई आपसी रंजिश है। मेरी रिपोर्ट पर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

प्रार्थी
रामधन पुत्र श्री रिधकरण जाति जाट
निवासी संवारिया तहसील टोड़ारायसिंह जिला टोंक
मोबाईल नम्बर 6377747240

कार्यवाही पुलिस भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक

दिनांक 04.04.2022 समय 02.00 पी0एम0 पर परिवादी श्री रामधन पुत्र श्री रिधकरण जाट उम्र 45 साल निवासी संवारिया तहसील टोड़ारायसिंह जिला टोंक ने एसीबी चौकी टोंक पर उपस्थित होकर मन् राजेश आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक को एक लिखित प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि "प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् मकान हेतु मैनें आवेदन किया था, जिस पर एक वर्ष पूर्व मुझे पहली किस्त 15 हजार रूपये मिल चुकी है, पहली किस्त मिलने के बाद मैनें मकान का काम शुरू कर दिया था, जो वर्तमान में छत हाईट तक बन चुका है, परन्तु मुझे दुसरी किस्त नहीं मिल रही है। दुसरी किस्त के लिए मैनें ग्राम पंचायत संवारिया पंचायत के एलडीसी श्री प्रहलाद से मिला तो प्रहलाद ने दुसरी व तीसरी किस्त डालने की एवज में 20 हजार रूपये की मांग कर रहा है। मैं गरीब आदमी हुं, काफी निवेदन करने पर भी नहीं मान रहा है, कहता है कि 20 हजार रूपये दोगे तभी किस्त की राशि आयेगी। मैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत नहीं देना चाहता हुं, बल्कि रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुं।" प्रार्थना पत्र परिवादी रामधन को पढकर सुनाया गया तो परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए प्रार्थना पत्र अदालत परिसर से टाईप करवाकर लाना तथा स्वंय द्वारा हस्ताक्षरित होना बताया। परिवादी रामधन ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन करने पर पहली किस्त 15 हजार रूपये मिलती है, जिस पर मकान का काम चालू कर डी0पी0सी0 लेवल तक निर्माण होने पर दुसरी किस्त 45 हजार रूपये तथा छत डलने के बाद तीसरी किस्त 60 हजार रूपये मिलते है। मैनें करीब एक वर्ष पूर्व प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवेदन किया था, जिस पर मुझे पहली किस्त 15 हजार रूपये तो मिल गये, परन्तु उसके बाद कोई किस्त नहीं मिली मैं गरीब आदमी हुं, मैनें जैसे–तैसे मकान को छत हाईट तक कर लिया है, परन्तु अब मुझे पैसों को जरूरत है। हमारी ग्राम पंचायत संवारिया में प्रधानमंत्री आवास योजना की किस्तें डलवाने का काम श्री प्रहलाद एलडीसी करता है, मैंने भी प्रहलाद जी से जाकर मेरी बकाया किस्तों डलवाने के बारें में निवेदन किया तो उन्होनें मेरे से 20 हजार रूपये की मांग की, मेरे काफी निवेदन करने पर भी नहीं मान रहे है, मैं ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को रिश्वत लेते हुये को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हुं। परिवादी ने स्वयं के निर्माणाधीन मकान की फोटो की फोटोप्रति एवं स्वयं के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति पेश की जो बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही किये गये। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र एवं मजिद दरियाफ्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने से विभागीय प्रकियानुसार रिश्वत मांग सत्यापन करवाया जाने हेतु समय 02.35 पी0एम0 पर कार्यालय आलमारी में से सरकारी डिजीटल वायस रिकॉर्डर निकलवाकर उसमें एक खाली मैमोरी कार्ड डालकर परिवादी को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर के संचालन व रखरखाव की विधि की समझाईश की जाकर उचित हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि मैं आज श्री प्रहलाद एलडीसी से मिलकर रिश्वत के बारें में बात करूंगा। अतः कानि0 महेश कुमार को तलब कर

परिवादी से आपस में परिचय करवाया गया। मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड करने हेतु कानि0 महेश कुमार को सुपुर्द कर आवश्यक समझाईस कर परिवादी रामधन एवं कानि0 महेश कुमार को सरकारी मोटर साईकिल से समय 03.05 पी.एम पर वास्ते रिश्वत मांग सत्यापन संवारिया, तहसील टोड़ारायसिंह रवाना किया गया। समय 9.30 पी0एम0 पर कानि0 महेश कुमार उपस्थित कार्यालय आया, कॉनि ने वॉयस रिकार्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द करते हुये बताया कि "मैं व परिवादी रामधन टोंक से रवाना होकर संवारिया पहुंचे, जहां पर परिवादी ने प्रहलाद एलडीसी का लोकेशन जानने के लिए फोन किया तो उसने परिवादी को संवारिया से केकड़ी जाने वाले रोड़ की तरफ बुलाया, जिस पर मैनें वॉयस रिकार्डर चालूकर परिवादी को दे दिया। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति मोटर साईकिल से आया तथा परिवादी से वार्ता करने लगा। मैं सरकारी मोटर साईकिल लेकर थोड़ी दुरी पर अपनी उपस्थिति छिपाकर उनको देखता रहा। कुछ देर बाद वो व्यक्ति केकड़ी रोड़ पर आगे चला गया तथा परिवादी ने मेरे पास आकर मुझे वॉयस रिकार्डर सुपुर्द किया, जिसको बन्द करके मैनें मेरे पास रख लिया। परिवादी रामधन ने मुझे बताया कि यही प्रहलाद जी एलडीसी थे, प्रहलाद जी ने 20 हजार रूपये की मांग की, मैनें 2–3 हजार रूपये कम करने के लिए कहा पर लेकिन वो नहीं मान रहे है, प्रहलाद जी ने कहा कि दुसरे लोगों से तो 35 हजार रूपये लेता हुं आपसे तो 20 हजार ही ले रहा हुं। प्रहलाद जी को 20 हजार रूपये कल ही देने पडेगें, यह सभी बातें रिकार्डर में रिकार्ड भी हो चुकी है। इसके बाद निर्देशानुसार परिवादी को सुबह जल्दी कार्यालय में आने हेतु पाबन्द कर वहां से रवाना होकर कार्यालय आया हुं।" वॉयस रिकार्डर को चलाकर सुना गया तो रिश्वत राशि मांग का सत्यापन होना पाया गया एवं कानि0 के कथनों की ताईद हुयी। दिनांक 05.04.2022 समय 10.00 ए0एम0 पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने से कोषाधिकारी कोष कार्यालय टोंक के नाम तहरीर मुर्तिब कर गवाह तलब करने हेतु श्री राजकुमार कानि0 160 को रवाना किया गया। समय 11.15 ए0एम0 पर परिवादी श्री रामधन उपस्थित कार्यालय आया, परिवादी ने बताया कि दिनांक 04.04.2022 को मैं व महेश जी कानि0 एसीबी टोंक से संवारिया गये तथा वहां पर मैनें प्रहलाद एलडीसी का लोकेशन जानने के लिए फोन किया तो उसने मुझे केकड़ी रोड़ की तरफ बुलाया, महेश जी ने वॉयस रिकार्डर चालूकर मुझे दे दिया। थोड़ी देर बाद प्रहलाद एलडीसी एक मोटर साईकिल से आया तथा मेरे से 20 हजार रूपये की मांग की, मैनें 2–3 हजार रूपये कम करने के लिए कहा पर लेकिन वो नहीं माना, प्रहलाद जी ने कहा कि दुसरे लोगों से तो 35 हजार रूपये लेता हुं आपसे तो 20 हजार ही ले रहा हुं। यह सभी बातें रिकार्डर में रिकार्ड हो गयी थी, मैनें रिकार्डर महेश जी को दे दिया था। समय 11.30 ए0एम0 पर तलबशुदा स्वतंत्र गवाह 1–श्री मस्तराम मीणा पुत्र श्री सुआलाल मीणा जाति मीणा उम्र 29 साल निवासी रघुनाथपुरा रूपपुरा थाना बनेठा जिला टोंक हाल कनिष्ठ सहायक जिला कोष कार्यालय टोंक मोबाईल नम्बर 9587523945, तथा 2–श्री मोहम्मद अयूब पुत्र श्री स्व0 श्री मोहम्मद इब्राहिम जाति शेख मुसलमान उम्र 55 साल निवासी वार्ड नम्बर 32 सोफिया सीनियर सेकण्डरी स्कूल मोतीबाग टोंक हाल वरिष्ठ सहायक जिला कोष कार्यालय टोंक मो0न0 8890096611 उपस्थित आये। दोनों गवाहान व परिवादी का आपस में परिचय करवाया गया। दोनो गवाहान को ब्यूरो द्वारा की जाने वाली कार्यवाही के बारे में संक्षिप्त अवगत करवाकर कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की सहमती चाही तो दोनो गवाह ने कार्यवाही में बतौर गवाह उपस्थित रहने की अपनी मौखिक सहमती दी। परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दिनांक 04.04.2022 गवाहान को पढाया गया, रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाकर गवाहान को मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य–मुख्य अंश सुनाये गये। गवाहान, परिवादीगण व स्टाफ का आपस में परिचय करवाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित मैमारी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर (डीवीआर) मे से निकाल कर सुरक्षित रखवाया गया। समय 11.45 ए0एम0 पर परिवादी

रामधन को आरोपी को दी जाने वाली रिश्वती राशि पेश करने हेतु निर्देशित करने पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के पेश किये। उक्त नोटों के नम्बर फर्द में अंकित करवाये जाकर नोटो के दोनों तरफ फिनोल्फ्थलीन पाउडर श्री गणेश सिंह कानि0 चालक से लगवाया जाकर पाउडर लगे नोट 20 हजार रूपये आरोपी को देने के लिए परिवादी के शरीर पर पहनी हुये कुर्ते की दाहिनी जेब में कोई शः नही छोडते हुए गणेश सिंह से रखवाये गये। गवाहान व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोल्फ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रकिया दृष्टान्त देकर समझाई गई। परिवादी रामधन को रिश्वत लेन–देन का ईशारा अपने सिर पर साफी/तौलिया बांधकर करने की समझाईश की गई एवं उक्त ईशारा ट्रेप पार्टी को भी समझाया गया। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट मुर्तिब कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। इसके पश्चात् समय 12.17 पी0एम0 पर मोहम्मद जुनैद हैड कानि0 32 व परिवादी को परिवादी की मोटर साईकिल से हमराह लेकर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय मनोज कुमार है0का0 119,, श्री ईश्वर प्रकाश कानि256, श्री महेश कुमार कानि0 17 श्री राजकुमार कानि0 160, श्री जलसिंह कानि0 248, स्वतंत्र गवाह के तैयारशुदा ट्रेप बॉक्स, कार्यालय लेपटॉप, प्रिन्टर साथ लेकर प्राईवेट वाहन से संवारिया के लिए रवाना होकर समय **02.05 पी0एम0 पर मय हमराहियान के संवारिया तालाब की पाल के नजदीक स्थित परिवादी के प्लॉट (बाड़ा) पर पहुंचे, तथा आरोपी कनिष्ठ लिपिक की लोकेशन जानने हेतु परिवादी के मोबाईल नम्बर 6377747240 से आरोपी कनिष्ठ लिपिक के मोबाईल नम्बर 9784613668 पर कॉल करवाया गया तो आरोपी कनिष्ठ लिपिक ने कहा कि "मैं अभी थोड़ी देर बाद फोन करके तुझे बता दूगां की तेरे को कहां आना है।" उक्त वार्ता को कार्यालय के वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड कर पृथक से ट्रांसस्क्रिप्ट बनायी गयी। समय 03.39 पी0एम0 पर आरोपी श्री प्रहलाद, कनिष्ठ लिपिक के मोबाईल नम्बर 9784613668 से परिवादी के मोबाईल नम्बर 6377747240 पर कॉल आया। आरोपी ने परिवादी को रिश्वत राशि लेकर तुरन्त तालाब की पाल पर बुलाया, उक्त वार्ता को भी वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड किया जाकर पृथक से ट्रांसस्क्रिप्ट तैयार की गयी। परिवादी को लेन–देन वार्ता रिकार्ड करने हेतु वॉयस रिकार्डर चालूकर दिया गया तथा मन् अतिरिक्त पुलिस एवं हमराह स्टाफ अपनी–अपनी उपस्थिति छिपाते हुये निर्धारित ईशारे के इन्तजार में मुकिम हुये। परिवादी तालाब की पाल पर पैदल–पैदल चलते हुये थोड़ी जाकर एक पेड़ की छाया में खड़ा हो गया, तभी कुछ समय बाद एक व्यक्ति मोटर साईकिल से परिवादी के पास आया तथा कुछ बात करने के बाद परिवादी से कुछ लेकर अपनी जेब में रखा।** समय 3.54 पीएम पर परिवादी रामधन ने अपने सिर पर साफी बांधते हुये रिश्वत राशि प्राप्ति से सम्बन्धित ईशारा किया, जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के परिवादी के पास पहुंचे, जहां पर परिवादी ने वॉयस रिकार्डर सुपुर्द करते हुये, उसके सामने खड़े व्यक्ति की ओर ईशारा करते हुये बताया कि यही प्रहलाद बैरवा, एलडीसी है, जिन्होनें अभी मेरे से 20 हजार रूपये लेकर अपने पहने हुये पेन्ट की बांयी जेब में रख लिये है। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना व हमारियान का परिचय देते हुये, उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम प्रहलाद बैरवा पुत्र श्री गोपी बैरवा उम्र 40 साल निवासी कोटड़ी थाना लाम्बाहरिसिंह तहसील टोड़ारायसिंह जिला टोंक हाल कनिष्ठ लिपिक ग्राम पंचायत संवारिया पंचायत समिति टोड़ारायसिंह जिला टोंक होना बताया। आरोपी प्रहलाद को परिवादी रामधन से ली गयी रिश्वत राशि के सम्बन्ध में पूछा तो वह घबरा गया तथा बोला कि "**मैनें कोई रिश्वत नहीं ली है, इसने ही मुझे पैसे दिये है।**" जिस पर परिवादी ने स्वतः ही बताया कि "**प्रहलाद जी झुठ बोल रहे है, मेरे एक वर्ष पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत हुआ था तथा उसकी पहली किस्त 15 हजार रूपये मुझे मिल भी गये थे, परन्तु**

मेरा मकान छत हाईट तक होने के बाद भी मुझे दुसरी किस्त नहीं मिल रही थी, जिस पर मैनें ग्राम पंचायत संवारिया में जाकर इन प्रहलाद जी से सम्पर्क किया तो इन्होनें प्रधानमंत्री आवास योजना की दुसरी व तीसरी किस्त डलवाने की एवज में 20 हजार रूपये रिश्वत की मांग की, मैनें काफी निवेदन किया, परन्तु यह नहीं माने, इनकी मांग के अनुसार ही मैनें आज इन्हें 20 हजार रूपये दिये है।" जिस पर पुनः आरोपी प्रहलाद कनिष्ठ लिपिक तसल्ली देकर पूछा तो वह घबरा गया तथा फिर बोला कि "**रामधन के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत एक किस्त आ चुकी थी, दुसरी किस्त के लिए कई दिनों से ग्राम पंचायत आता था, मैनें सोचा गरीब आदमी है, इसका काम करवा देते है, लेकिन इसने मुझे मरवा दिया।**" आरोपी को रिश्वत राशि के बारें में पूछा तो स्वयं के पहनी हुयी पेन्ट की बांयी जेब में होना बताया, घटनास्थल पर बैठने एवं लाईट की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण आरोपी की मोटर साईकिल श्री महेश कुमार कानि0 को सुपुर्द कर ग्राम पंचायत कार्यालय संवारिया पहुंचने हेतु रवाना किया तथा आरोपी के दाहिने हाथ की कलाई को कानि0 राजकुमार से एवं बांये हाथ की कलाई को कानि0 ईश्वर प्रकाश से पकड़वाकर आरोपी को हमराह लेकर मय प्राईवेट वाहन मय हमराहियान के कार्यालय ग्राम पंचायत (राजीव गांधी सेवा केन्द्र) संवारिया पहुंचा, एवं अग्रिम कार्यवाही शुरू की। इसके पश्चात् गाडी से ट्रेप बॉक्स मंगवाया जाकर दो साफ कांच के गिलासों में वहीं से साफ पानी भरवाया जाकर एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर हाजरीन के दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त तैयारशुदा घोल के एक गिलास में आरोपी प्रहलाद के दाहिने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क आर–1, आर–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। कांच के दूसरे गिलास के घोल में आरोपी प्रहलाद के बांये हाथ की अंगूलियो व अंगूठे को डूबोकर धूलवाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसको हाजरीन को दिखाया गया तो धोवण का रंग हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क एल–1, एल–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी प्रहलाद बैरवा के बताये अनुसार रिश्वत राशि उसके पहने हुये पेन्ट की बांयी जेब में है, अतः स्वतंत्र गवाह श्री मस्तराम मीणा से रिश्वत राशि निकलवायी तो 500–500 रूपये के नोटों में लिपटे कुछ नोट निकले, जिन्हें गवाहों से गिनवाये गये तो 500–500 रूपये 40 नोट कुल 20,000 रूपये होना पाये गये। उक्त नोटो के नम्बरो का मिलान पूर्व की मूर्तिबशुदा फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट में अंकित नम्बरों से करवाया गया तो नोटों के नम्बरों का हुबहु मिलान होना पाया गया। जिनका विवरण निम्न प्रकार है –

1.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	2MN	173312
2.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	2CN	396602
3.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8EE	789901
4.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	2TP	246677
5.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	3EW	822563
6.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	0BA	993364
7.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	7PP	793248
8.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5DG	546992

9.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	0WH	366770
10.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6BA	431683
11.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5CV	814186
12.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6BP	269239
13.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	0CT	741319
14.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	4TA	433303
15.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6NE	182467
16.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	2FE	698778
17.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5EC	727926
18.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	3CA	968780
19.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	5VG	835244
20.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	0GR	731020
21.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6DW	279197
22.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6FN	052425
23.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	0NC	338593
24.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8AP	757856
25.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	0HK	364072
26.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	4PS	210032
27.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	7VM	937214
28.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8WT	605122
29.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	0QS	420875
30.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	3SW	562381
31.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	8KM	195164
32.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1ME	701976
33.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	0TK	015368
34.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	9VN	597703
35.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	4HQ	745285
36.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	7SR	446021
37.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1TT	091579
38.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	6GM	426748
39.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	1SV	538442
40.	एक नोट 500 रूपये नम्बरी	3CT	929410

उक्त रिश्वती राशी के नोटों को एक कागज की चिट में सिल्ड कर मार्क–**एन** अंकित कर कागज पर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिये गये। आरोपी प्रहलाद बैरवा के पहनने हेतु एक पजामें की व्यवस्था कर उसके पहनी हुयी पेन्ट को ससम्मान उतरवाया जाकर पेन्ट की बांयी जेब जहां से रिश्वत राशि बरामद हुयी उसके धोवण हेतु एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार कर

हाजरीन के दिखाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। उक्त तैयारशुदा घोल में पेन्ट की जेब को डूबोकर धुलवाया गया तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया। उक्त धोवण को दो साफ कांच की शिशियों में आधा–आधा भरवाकर सिल्ड चिट कर मार्क पी–1, पी–2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त पेन्ट की जेब को सुखाकर उक्त पेन्ट को एक सफेद कपड़े की थैली में सिल्ड चिट कर मार्क–**पी** अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। आरोपी प्रहलाद से परिवादी रामधन के काम से सम्बन्धित रिकार्ड/दस्तावेज चाहने पर प्रहलाद ने अपनी मोटर साईकिल के बैग में रखी हुयी एक सूची प्रस्तुत करते हुये बताया कि ग्राम पंचायत में जिन–जिन व्यक्तियों के प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान आवंटित हुये है, यह उनकी सूची है, इसमें अंकितानुसार व्यक्तियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किस्त जारी हो चुकी है। उक्त सूची में क्र0स0 56 पर परिवादी रामधन जाट पुत्र रिधकरण जाट का नाम अंकित है, जिसे प्रथम किस्त जारी हो चुकी है। द्वितीय एवं तृतीय किस्त अभी तक जारी नहीं हुयी है। उक्त सूची पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किया गया। दौराने कार्यवाही तलबशुदा श्री शंकर लाल चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत संवारिया मो0 न0 9636133843 उपस्थित आये, जिसे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने अपना व हमराहियान का परिचय देते हुये परिवादी रामधन के आवास से सम्बन्धित रिकार्ड प्रस्तुत करने हेतु कहने पर उसने परिवादी का आवेदन फार्म पंचायत समिति टोड़ारायसिह में होना बताया तथा आवेदन ऑनलाईन होने से सम्बन्धित प्रिन्ट की प्रति प्रस्तुत करते हुये बताया कि रामधन जाट द्वारा किये गये आवेदन पर दिनांक 25.07.19 को स्वीकृति जारी होकर दिनांक 04. 09.2019 को इसके खाते में प्रथम किस्त की राशि 15 हजार रूपये का भुगतान हो चुका है। 2019 के पश्चात अभी तक भी इसके खाते में द्वितीय किस्त जमा क्यों नहीं हुयी मुझे जानकारी में नहीं है। मेरे पास अन्य ग्राम पंचायतों का भी अतिरिक्त कार्यभार होने से ग्राम पंचायत संवारिया में प्रधानमंत्री आवास योजना से सम्बन्धित काम ग्राम पंचायत में कार्यरत श्री प्रहलाद बैरवा कनिष्ठ लिपिक द्वारा किया जाता है। ग्राम विकास अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवादी के आवेदन फार्म की ऑनलाईन प्रतियों पर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही किया गया। आरोपी की जेब से एक वीवो वाई–50 मोबाईल मिला, जिसमें एक सिम आईडिया कम्पनी मोबाईल नम्बर 9784613668 एवं एक सिम वोडाफोन कम्पनी की मोबाईल नम्बर 9828011097 लगी हुयी है, मोबाईल नम्बर 9784616668 पर ही आरोपी एवं परिवादी के मध्य वार्ता हुयी है, अतः मोबाईल को एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क–**एम** अंकित कर कब्जे ब्यूरो लिया गया। उक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 6.15 पीएम पर आरोपी श्री प्रहलाद बैरवा कनिष्ठ लिपिक को उसके उक्त जुर्म एवं संवैधानिक अधिकारों से आगाह कराते हुए हस्ब कायदा गिरफ्तार किया गया। समय 6.25 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराह एसीबी स्टाफ, स्वतंत्र गवाह, परिवादी एवं गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री प्रहलाद बैरवा मय जब्तशुदा आर्टिकल्स के राजीव गांधी सेवा केन्द्र से रवाना हुआ। समय 6.35 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के घटनास्थल (तालाब की पाल संवारिया) पर पहुंचा, एवं स्वतंत्र गवाह व परिवादी की उपस्थिति में घटनास्थल का नजरी निरीक्षण कर फर्द घटनास्थल पृथक से मुर्तिब किया गया। समय 6.50 पीएम पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाद मुर्तिब नक्शा मौका घटनास्थल मय हमराहियान के एसीबी चौकी टोंक रवाना होकर समय 09.00 पीएम पर एसीबी चौकी टोंक पहुचां, अग्रिम कार्यवाही शुरू की गयी। समय 9.15 पीएम पर कार्यालय आलमारी में सुरक्षित रखे गये रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड को निकलवाया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाया जाकर वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय

कम्प्यूटर से जोडकर उक्त वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर दोनों वार्ताओं की फर्द ट्रान्सक्रिप्ट श्री महेश कुमार कानि0 से टाईप करवाकर तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता को 03 खाली सीडीयों में राईट कर दो सीडीयों को पृथक–पृथक सफेद कपडे की थेली में सिल्ड कर मार्क ए–1,ए–2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक सीडी को बिना सिल्ड कागज के लिफाफे में रखी गई। समय 11.00 पीएम पर रिश्वत लेन–देन वार्ता से सम्बंधित मूल मैमोरी कार्ड को डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में लगाया जाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को कार्यालय कम्प्यूटर से जोडकर दिनांक 05.04.2022 को परिवादी व आरोपी के बीच रिश्वत लेनदेन के वक्त रूबरू/टेलिफोनिक वार्ता को परिवादी व दोनों स्वतन्त्र गवाहान की मौजूदगी में सुन–सुन कर वार्ता की फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट श्री महेश कुमार कानि0 से टाईप करवाकर तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता को 3 खाली सीडीयों में राईट कर दो सीडीयों को पृथक–पृथक सफेद कपडे की थेली में सिल्ड कर मार्क बी–1,बी–2 अंकित कर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। एक सीडी को बिना सिल्ड कागज के लिफाफे में रखी गई। समय 12.05 एएम पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता एवं रिश्वत लेनदेन वार्ता से सम्बन्धित दोनों मूल मेमोरी कार्ड 8–8 जीबी को सुरक्षित हालात में एक सफैद कपडे की थैली में सिल्ड कर मार्क "एम–1" अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। समय 12.30 एएम पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी को दौराने कार्यवाही उपयोग में ली गई पीतल की सील का अवलोकन करवाया गया तथा फर्द पर नमूना सील अंकित की गई। उपयोग में ली गई पीतल की सील को कार्यालय एसीबी टोंक के बाहर पत्थर से तुडवाई जाकर नष्ट की गई जिसकी फर्द नाशानी सील मुर्तिब की गई। समय 01.00 एएम पर ट्रेप कार्यवाही से सम्बंधित मालखाना जब्तशुदा व सिल्डशुदा आर्टिकल्स धोवण के सिल्ड सैम्पल्स जरिये मोहम्मद जुनैद है0कानि032 के जमा मालखाना करवाया गया। समय 01.15 एएम पर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता तथा रिश्वत लेनदेन वार्ता की सीडीयां तैयार करने के सम्बध में धारा 65बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर शामिल कार्यवाही किया गया।

अब तक की ट्रेप कार्यवाही रिश्वत मांग सत्यापन, लेनदेन वार्ता फर्द ट्रान्सक्रिप्ट्स, रंनिंग नोट, फर्दात् से आरोपी श्री प्रहलाद बैरवा पुत्र श्री गोपी बैरवा उम्र 40 साल निवासी कोटड़ी थाना लाम्बाहरिसिंह तहसील टोड़ारायसिंह जिला टोंक हाल कनिष्ठ लिपिक ग्राम पंचायत संवारिया पंचायत समिति टोड़ारायसिंह जिला टोंक ने लोक सेवक होते हुए अपने पद एवं कर्तव्यों का दुरूपयोग कर अनैतिक लाभ प्राप्त करने हेतु परिवादी श्री रामधन जाट के प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आंवटित मकान की द्वितीय एवं तृतीय किश्त जारी करने की एवज में दिनांक 04.04.22 को दौराने मांग सत्यापन 20 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर दौराने ट्रेप कार्यवाही 20 हजार रूपये रिश्वती राशि ग्रहण कर अपने पहने हुये पेन्ट के बांये जेब में रखना पाया गया, जहां से रिश्वती राशि बरामद हुई है। आरोपी का उक्त कृत्य अपराध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (संशो) 2018 जुर्म प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया।

अतः उक्त आरोपी श्री प्रहलाद बैरवा पुत्र श्री गोपी बैरवा उम्र 40 साल निवासी कोटड़ी थाना लाम्बाहरिसिंह तहसील टोड़ारायसिंह जिला टोंक हाल कनिष्ठ लिपिक ग्राम पंचायत संवारिया पंचायत समिति टोड़ारायसिंह जिला टोंक के विरूद्ध धारा उपरोक्त में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमाकंन सादर प्रेषित है।

(राजेश आर्य)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ,टोंक

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेश आर्य, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री प्रहलाद बैरवा, कनिष्ठ लिपिक (कनिष्ठ सहायक) ग्राम पंचायत संवारिया, पंचायत समिति टोड़ारायसिंह, जिला टोंक के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 114/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

6.4.22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

कमांक 1009-13 दिनांक 6.4.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अजमेर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, टोंक।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।